an>

Title: Need to provide employment opportunities to volunteers engaged in security of borders.

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): अध्यक्ष महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं कि हमारे यहां सीमा सुरक्षा ब्यूरो हुआ करता था, जिसका काम यह था कि वह बॉर्डर से हटकर सीमा की सुरक्षा किया करता था, उसमें सिविलियन हुआ करते थे, जो बिना यूनिफॉर्म के सेवा करते थे और वे विभिन्न कैटेगरी के लोग थे। उनमें एनिमल हजबैंडरी का डाक्टर भी हुआ करता था, वह पोल्ट्री का काम भी देखता था और किसान भी होता था। उनमें हर तरह के लोग हुआ करते थे और इन्हें बाकायदा इंटेसिवली ट्रेंड वालंटियर्स आईटीवी ट्रेनिंग दी जाती थी और वूमैन एडवांस ट्रेनिंग स्कूल वाट्स में महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जाती थी। परंतु 2001 में जो सीमा सुरक्षा बल बन गया, उसके बाद इसमें जो ट्रेंड लोग थे, इन्हें उस नौकरी से वंचित कर दिया गया। ऐसे लोगों की संख्या हजारों में हैं, जो ट्रेन्ड लोग हैं और इन्हें बार-बार राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से निर्णय लेकर कहा जा रहा है कि आप इन्हें टाइगर प्रोजैक्ट में और जो सैंट्रली स्पांसर्ड प्रोजैक्ट्स हैं, उनमें नौकरियां दी जाए। किंतु दुर्भाग्य यह है कि ऐसे लोग हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कश्मीर, बिहार, यूपी, बंगाल, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि पूरे देश में सब जगहों में हैं। इन लोगों की उपयोगिता है, ये नौजवान हैं, पूरी तरह से ट्रेन्ड हैं और आज ट्रेन्ड लोगों की जरूरत है, हम स्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑलरेडी स्किल्ड हैं। इनको एकोमोडेट करने की जरूरत है। बार-बार केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्य सरकारों को चिट्ठियां लिख रहा है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि गृह मंत्री जी अपने स्तर पर सभी राज्यों की एक बैठक बुलाएं और बैठक बुला कर इसका निबटारा करें।